राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

वाद संख्या
108/2024

रजू दिनांक
21.03.2024

निर्णय दिनांक
06.06.2024

उनवान

1. विक्रमसिंह पुत्र उमराव
2. शीशराम पुत्र उमराव जातियान अहीर निवासीयान ग्राम सांसेडी तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड।

वादीगण

बनाम

1. ईश्वर पुत्र उमराव
2. गुरूदयाल पुत्र उमराव
3. धर्मवीर पुत्र उमराव जातियान अहीर निवासीयान ग्राम सांसेडी तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड।
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड।
5. उपपंजीयक महोदय नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड

असल प्रतिवादीगण

6. शाखा प्रबंधक पी0एन0बी0 शाख जोनायचा खुर्द तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड।

तर0 प्रतिवादी।

<u>दावा तकसीम आराजी एंव हु0ई0दवामी।</u>

उपस्थित:–
1. श्री प्राणसुख सैनी अधिवक्ता – वादीगण ।
2. श्री मुकेश यादव अधिवक्ता– प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03।

–::निर्णय::–

दिनांक :– 06.06.2024

आज यह पत्रावली बरूवे राजीनामा सुनाये जाने निर्णय पेश हुई। वकील उभय पक्षकारान उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है कि हाल आराजी ख.नं. 151/0.10, 155/0.07, 156/0.07, 387/0.17, 388/0.17, 389/0.21, 20/0.12, 597/0.02, 718/0.03, 719/0.03, 716/0.05, 717/0.04 हैक्टेयर वाके ग्राम सांसेडी तह0 नीमराना मे स्थित होकर मुताबिक जमाबंदी मिन वादीगण आराजी मुतनाजा मे प्रत्येक 1/5 हिस्से के व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है लेकिन आराजी मुतनाजा का सभी सहखातेदारों द्वारा आपसी सहुलियत कि हिसाब से मौके पर बहामी बंटवारा किया हुआ है उक्त बंटवारे के मुताबिक अपने अपने हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे है तथा अब तक प्रतिवादीगण द्वारा मिन वादीगण को बहामी बंटवारा के मुताबिक काश्त करने मे किसी प्रकार की दिक्कतबाजी पैदा नही की और मौके पर शांतिपूर्वक तरीके से काश्त करते चले आ रहे है लेकिन अब दिनांक 05.03.2024 को मिन वादीगण ने बहामी बंटवारा व मौका पर कब्जा काश्त के मुताबिक आराजी मुतनाजा का विधिवत रूप तकासमा करवाने के लिए प्रतिवादीगण को कहा तो जब तो हॉ कर ली व तकासमा करवाने के लिए राहमत हो गये लेकिन दिनांक 12.03.2024 को मिन वादीगण ने प्रतिवादीगण को न्यायालय से बहामी बंटवारा एवं मौके के मुताबिक विधिवत रूप से बंटवारा करवाने के लिए कहा तो साफ मना कर दिया आदि आदि अंकित करते हुए वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री तकसीम आराजी इस अमर की जारी की जावे कि उक्त विवादित आराजीयात पर से मिन वादीगण

व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 का नाम कलमजन किया जाकर उक्त खसरा नम्बरान पर कुर्रे कायम किया जाकर कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर अलग से बटा नम्बर डाकलर खाताबंदी कर उसका बहामी बंटवारा व मौके पर कब्जा काश्त के मुताबिक खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदीयात व नक्शा ट्रेस मे अंकन किया जाने की घोषणा किया जाने का निवेदन रहा।

बाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रतिवादी सं. 01 लगायत 03 बाद तलबी न्यायालय हाजा मे जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया गया। जिसे बाद विधिवत सुनवाई उभय पक्षकारान की उनके अधिवक्तागण की पहचान किये जाने पर बाद तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

मुताबिक राजीनामा वकील उभय पक्षकारान को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया मुताबिक प्रस्तुत राजीनामा अनुसार ख.न. 387/0.17, 388/0.17, 389/0.21 हैक्टेयर मे वादीगण का 22 एयर हिस्सा तरफ दक्षिण मे रहेगा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 का 33 एयर हिस्सा तरफ उत्तर मे रहेगा एंव ख.नं. 151/0.10, 156/0.07, 716/0.05 हैक्टेयर सालिम हिस्सा वादीगणों का रहेगा तथा ख.नं. 155/0.07, 420/0.12, 597/0.02, 718/0.03, 719/0. 03. 717/0.04 हैक्टेयर सालिम हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगयात 3 का रहेगा अंकित कर पेश होकर बाद उभयपक्षकारान की सहमति के दावा डिक्री किये जाने का अंकन होकर शामिल पत्रावली है ऐसी स्थिति मे वादीगण के वाद को यह न्यायालय बरूवे राजीनाम स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण बरूवे राजीनामा स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति मे वादीगण के हाल आराजी ख.नं. 151/0.10, 155/0.07, 156/0.07, 387/0.17, 388/0.17, 389/0.21, 420/0.12, 597/0.02, 718/0.03, 719/0.03, 716/0.05, 717/0.04 हैक्टेयर वाके ग्राम सांसेडी तह0 नीमराना वाद को इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि ख.नं. 387/0.17, 388/0.17, 389/0.21 हैक्टेयर मे से संभाग मे वादीगण का 22 एयर हिस्सा तरफ दक्षिण का तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को शेष रकबा 33 एयर हिस्सा संभाग मे तरफ उत्तर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं ख.नं. 151/0.10, 156/0.07, 716/0.05 हैक्टेयर सालिम हिस्सा संभाग मे वादीगण को तथा ख.नं. 155/0.07, 420/0.12, 597/0.02, 718/0.03, 719/0.03, 717/0.04 हैक्टेयर सालिम हिस्सा संभाग मे प्रतिवादीगण संख्या 1 लगयात 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे एवं बैंक रहन की स्थिति मे सहखातेदारान को मिलने वाले हिस्से रकबे आराजी से बैंक ऋण राशि वसूलनीय रहेगी तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 06.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

06.06.24

(पंकज बडगुजर)

उपखण्ड अधिकारी

नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी नीमराना

जिला कोटपूतली–बहरोड(राज0)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

वाद सख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री जारी दिनांक
105 / 2024	21.03.2024	06.06.2024

उनवान

1. विक्रमसिंह पुत्र उमराव
2. शीशराम पुत्र उमराव जातियान अहीर निवासीयान ग्राम सांसेडी तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड।

वादीगण

बनाम

1. ईश्वर पुत्र उमराव
2. गुरूदयाल पुत्र उमराव
3. धर्मवीर पुत्र उमराव जातियान अहीर निवासीयान ग्राम सांसेडी तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड।
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड।
5. उपपंजीयक महोदय नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड

असल प्रतिवादीगण

6. शाखा प्रबंधक पी0एन0बी0 शाख जोनायचा खुर्द तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड।

तर0 प्रतिवादी।

<u>दावा तकसीम आराजी एंव हु0ई0दवामी।</u>

–:पर्चा डिक्री:–

वादीगण की ओर से श्री प्राणसुख सैनी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 की ओर से श्री मुकेश यादव अधिवक्ता की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 06.06.2024 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती है किः–

वाद वादीगण बरूवे राजीनामा स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति मे वादीगण के हाल आराजी ख.नं. 151 / 0.10, 155 / 0.07, 156 / 0.07, 387 / 0.17, 388 / 0.17, 389 / 0.21, 420 / 0.12, 597 / 0.02, 718 / 0.03, 719 / 0.03, 716 / 0.05, 717 / 0.04 हैक्टेयर वाके ग्राम सांसेडी तह0 नीमराना वाद को इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि ख.नं. 387 / 0.17, 388 / 0.17, 389 / 0.21 हैक्टेयर मे से संभाग मे वादीगण का 22 एयर हिस्सा तरफ दक्षिण का तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को शेष रकबा 33 एयर हिस्सा संभाग मे तरफ उत्तर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं ख.नं. 151 / 0.10, 156 / 0.07, 716 / 0.05 हैक्टेयर सालिम हिस्सा संभाग मे वादीगण को तथा ख.नं. 155 / 0.07, 420 / 0.12, 597 / 0.02, 718 / 0.03, 719 / 0.03, 717 / 0.04 हैक्टेयर सालिम हिस्सा संभाग मे प्रतिवादीगण संख्या 1 लगयात 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे एवं बैंक रहन की स्थिति मे सहखातेदारान को मिलने वाले हिस्से रकबे आराजी से बैंक ऋण राशि वसूलनीय रहेगी। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

06.06.2024

(पंकज बडगूजर)

उपखण्ड अधिकारी नीमराना

जिला कोटपूतली–बहरोड़(राज0)

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)